

C.F.A. 15/-

R-243-III 197

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म० प्र० ग्वालियर

R-1168-PBR/2004

प्रकरण क्रमांक 189 निगरानी

मुस० ठिराबाई पत्नी बलवन्त सिंह यादव, निवासी सुरथरा, तहसिल व जिला भिण्ड, म० प्र० -- प्राणी

विरुद्ध

मुस० कपूरी पत्नी रामरतन सिंह यादव निवासिन ग्राम सुरथरा, हाल मोतीपुरा, तहसिल ऊमरी, तहसिल व जिला भिण्ड, म० प्र० -- प्रतिप्राथिया

निगरानी विरुद्ध आवेदन अपरआयुक्त महोदय, वंचल संभाग दिनांक १६-६-६७ अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० मू राजस्व संहिता, १९५६ । प्र० प्र० १६३।६५-६६ निगरानी ।

क्रमांक ०५-III  
श्री एस.ए.के. अलखी ०३.११.९७  
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक  
को प्रस्तुत  
०३.११.९७  
बलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

31991e6

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- (१) यह कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय स्वयं अपर आयुक्त महोदय की आज्ञायें कानूनन सही नहीं है ।
- (२) यह कि प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य न था ।
- (३) यह कि जब प्रकरण में इशतिहार जारी हुआ है तथा अपर आयुक्त महोदय के साक्षात् इशतिहार अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है तब इस हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक निगरानी 243-तीन/97

जिला- भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.12.15  <i>Real</i>	आवेदक एवं आवेदक के अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित । उन्हें समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी अनुपस्थित । अतः आवेदक एवं अनावेदक अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है ।  <i>सदस्य</i>	